



UPMZ010082552026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी- (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06126

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3497 सन् 2026

जुनैद पुत्र राशिद,
निवासी मो0 खालापार, थाना खालापार,
जिला मुजफ्फरनगर।

.....आवेदक / अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या-77 सन् 2021

धारा-3/5/8 गौवध अधिनियम।

थाना-नई मण्डी, जिला-मुजफ्फरनगर।

03.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **जुनैद पुत्र राशिद** की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार परवेज पत्नी वसीम द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बेगुनाह है। आवेदक/अभियुक्त ने पैसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त अपराध में पूर्व में जमानत पर था पूर्व नियत तिथि पर माता की बीमारी में बाहर तिमारदारी में लगे रहने के कारण हाजिर अदालत नहीं हो सका और अपने न आने की सूचना वकील साहब को भी नहीं भिजवा सका और न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के वारन्ट जारी कर दिये गये और पुलिस द्वारा वारन्ट पर आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आवेदक/अभियुक्त के अलावा माता की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित में कोई गलती या लापरवाही नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक नियत तिथि पर हाजिर अदालत रहेगा। आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छूटने के उपरान्त उसके कहीं फरार होने या गवाहान तोड़ने का कोई अन्देशा नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25-06-2026 से कारागार में निरुद्ध है। अतः दौरान वाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।
4. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने के उपरांत न्यायालय से अनुपस्थित हो गया। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया, तो वह पुनः न्यायालय से गैर हाजिर हो जायेगा। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि **प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था** तथा अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो गए। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थिति का कारण यह बताया गया है कि वह अपनी माता की तिमारदारी में लगे होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका तथा न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सका तथा उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिए गए तथा पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं न्यायालय द्वारा उसका वारंट बनाकर उसे जिला कारागार भेजा गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में किए गए कथनों को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है।

7. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जुनैद** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा **50,000/-50,000/- (पचास हजार रूपए-पचास हजार रूपए)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय नवीन प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये -

- 1- आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न ही किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लेगा।
- 2- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर, स्वयं व बजरिए अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 3- आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित आने पर व दं0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों के लिए कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- 4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के त्वरित निस्तारण में अपना सहयोग करेगा।

दिनांक-03.07.2026

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।